कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमॉक 27848-55 /एम.सी./ अराज/5/2022 भोपाल, दिनॉक 15/07/2022

// अनापत्ति प्रमाण –पत्र //

गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल में कार्यरत स्टाफ नर्सों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 2/57/2018/55–1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु 1 से 4 तक के नियम के अन्तर्गत आपसी सहमती से परस्पर अदला–बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्तों पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है ।

क	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	रोशनी चौहान (अनारक्षित)	सुल्तानिया महिला चिकित्सालय	अमृता जैन (अनारक्षित)	नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर
2	अलिशा खान (अन्य पिछड़ा वर्ग)	सुल्तानिया महिला चिकित्सालय	अनुराधा उघडे (अन्य पिछड़ा वर्ग)	नंद कुमार सिंह चौहान चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा
3	स्वस्ति सीमन्तीनी बेहेरा (अन्य पिछड़ा वर्ग)	सुल्तानिया महिला चिकित्सालय	सपना पटेल (अन्य पिछड़ा वर्ग)	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद एवं समान संवर्ग के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए ।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा ।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनों आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 27848-55/एम.सी./अराज/5/2022 भोपाल, दिनांक 15/07/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर/ नंद कुमार सिंह चौहान चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा/ महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर ।
2. अधीक्षक, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल ।
3. मेट्रन, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल ।
4. रोशनी चौहान,/ अलिशा खान/ स्वस्ति सीमन्तीनी बेहेरा, नव नियुक्त स्वशासी स्टाफ नर्स द्वाराः– अधीक्षक, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल ।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

15/07/2022

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल